

# नवा भारत



**पशुधन विकास के कार्यों से मज़बूत होगी आजीविका, समृद्ध होंगे परिवार**  
अब बनेंगे पशु, मत्स्य और पोल्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और सशक्त होगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था



**Viksit Bharat - Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) : VB - G RAM G**  
(विकसित भारत - जी राम जी) Act, 2025

**125 दिन की टोड़गार गारंटी**



## स्पीकर के खिलाफ 'अविश्वास'

120 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ नोटिस सौंपा, राहुल गांधी का नाम नहीं

नई दिल्ली, 10 फरवरी . संसद के भीतर टकराव एक नए स्तर पर पहुंच गया है. विपक्षी दलों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाते हुए उन्हें पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस सौंप दिया है. इस कदम ने संसद की राजनीति में हलचल तेज कर दी है और सदन की निष्पक्षता को लेकर बहस छेड़ दी है.

कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों के करीब 120 सांसदों ने लोकसभा सेक्रेटरी जनरल को यह नोटिस सौंपा है. नोटिस में स्पीकर पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्ष के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया और कांग्रेस सांसदों पर झूठे आरोप लगाए. विपक्ष का कहना है कि यह संसदीय परंपराओं और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है. रिपोर्ट्स के मुताबिक नोटिस में कांग्रेस सांसदों में राहुल गांधी का नाम नहीं है. साथ ही टीएमसी ने भी अविश्वास प्रस्ताव से दूरी बना ली है.



**अविश्वास प्रस्ताव बना टकराव की वजह**

बता दें कि विवाद की जड़ राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान की कार्यवाही बताई जा रही है. विपक्ष का आरोप है कि इस दौरान स्पीकर ने राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं को बोलने से रोका, जिससे विपक्ष को अपनी बात रखने का अवसर नहीं मिला. विपक्षी दलों का कहना है कि यह लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है, जहां हर पक्ष को अपनी राय रखने का अधिकार होता है.



**स्पीकर की टिप्पणी पर विपक्ष की नाराजगी**

नोटिस में कहा गया है कि सदन में स्पीकर की टिप्पणी से कांग्रेस सांसदों पर स्पष्ट रूप से झूठे और धमक आरोप लगे, जिससे विपक्ष की छवि को नुकसान पहुंचा. विपक्ष का तर्क है कि स्पीकर का पद संवैधानिक रूप से निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन मौजूदा हालात में यह निष्पक्षता सवालियों के घेरे में है.

**अब क्या होगा आगे?**

अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस सौंपे जाने के बाद अब गैंग संसद के प्रक्रिया तंत्र के पाले में है. प्रस्ताव को स्वीकार किया जाएगा या नहीं, इस पर आगे की कार्यवाही तय होगी. वहीं सत्ता पक्ष ने फिलहाल इस मुद्दे पर खुलकर प्रतिक्रिया नहीं दी है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह टकराव आने वाले दिनों में संसद की कार्यवाही और राजनीतिक माहौल दोनों को प्रभावित कर सकता है. लोकसभा स्पीकर के खिलाफ लाया गया यह प्रस्ताव न सिर्फ एक संवैधानिक प्रक्रिया है, बल्कि यह संसद में सत्ता और विपक्ष के बीच बढ़ते अविश्वास का भी संकेत देता है.

## साइबर सुरक्षा ढांचा बनाएंगे : शाह

एजेंसियों को साझा तंत्र में जोड़कर काम कर रही है सरकार

नई दिल्ली, 10 फरवरी. देश में नेजी से बढ़ते डिजिटल लेनदेन के साथ साइबर अपराध भी नए और खतरनाक रूप में सामने आ रहे हैं.

गृहमंत्री अमित शाह ने कॉन्फ्रेंस में बताया कि देश में हर तीन सेकंड में एक व्यक्ति साइबर अपराध का शिकार हो रहा है. इसी चुनौती को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि अगले पांच वर्षों में साइबर अपराध पर निर्णायक नियंत्रण नहीं पाया गया, तो यह कानून-व्यवस्था से आगे बढ़कर राष्ट्रीय संकट बन सकता है. सरकार अब आरबीआई, एनआईए, सीबीआई और अन्य एजेंसियों को एक साझा तंत्र में



जोड़कर अभेद्य साइबर सुरक्षा ढांचा तैयार कर रही है. भारत दुनिया में डिजिटल ट्रांजेक्शन का अग्रणी देश बन चुका है. ऐसे में करोड़ों जनधन खातों, अरबों ऑनलाइन लेनदेन और पंचायत स्तर तक फैले डिजिटल नेटवर्क की सुरक्षा बड़ी जिम्मेदारी है.

**राष्ट्रीय सुरक्षा को भी चुनौती**

शाह ने 'सी' की भूमिका को और मजबूत करने, रियल टाइम रिपोर्टिंग बढ़ाने, साइबर हाइजीन पर जोर देने की बात कही. 100 में से 93 लोग किसी न किसी रूप में साइबर खतरे की जद में हैं. यह केवल आर्थिक अपराध नहीं, बल्कि डेटा चोरी के जरिए राष्ट्रीय सुरक्षा को भी चुनौती है. सरकार ने 30 नवंबर 2025 तक 23 करोड़ से अधिक साइबर शिकायतें दर्ज कीं, जिनमें 1.85 लाख एफआईआर हुईं. दिसंबर 2025 तक 12 लाख सिम कार्ड रद्द किए गए और 3 लाख मोबाइल आईएमईआई ब्लॉक किए गए.

**45 लाख रुपए कीमत की सोने की अंडरवियर जब्त**

अहमदाबाद, 10 फरवरी. गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट पर सीमा शुल्क विभाग की एयर इंटेलिजेंट यूनिट ने एक अंडरवियर जब्त की है. आप सोच रहे होंगे कि अंडरवियर, जी हाँ, यह अंडरवियर दिखने में तो साधारण था, लेकिन इसकी वास्तविक कीमत करीब 45 लाख रुपये बताई जा रही है. दरअसल जिस शख्स के पास से यह अंडरवियर मिला है, वह दुबई से लौटा था. खुफिया जानकारी के आधार पर पकड़ा उसे पकड़ा गया था.

## एमबीबीएस छात्रा की संदिग्ध मौत

**कोहेफिजा थाना पुलिस कर रही जांच**

नवभारत रिपोर्टर

**भोपाल, 10 फरवरी.** गांधी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की एक 19 वर्षीय छात्रा की मंगलवार को संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है. कोहेफिजा इलाके में निजी छात्रावास में छात्रा, जिस कमरे में रहती थी उसी कमरे के बाथरूम में उसे देखा गया. मौके पर छात्रा के पास मिली एसिड को बोतल भी को जब्त किया गया है. मर्ग कायम कर कोहेफिजा थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. मिली जानकारी के मुताबिक अलीराजपुर निवासी छात्रा रोशनी ने 4 महीने पहले एमबीबीएस में एडमिशन लिया था. मंगलवार की सुबह हास्टल में रहने वाली रोशनी की सहेलियों ने जब उसे कालेज चलने के लिए आवाज लगाई और फोन लगाया और कोई भी जवाब नहीं मिलने पर. घटना की जानकारी पीजी के कर्मचारियों को दी गई.

## एक नजर में



**बांग्लादेश में एक और हिंदू व्यापारी की हत्या**

ढाका. बांग्लादेश में मेयनसिंह जिले के त्रिशाल उप जिला में एक हिंदू चावल व्यापारी सुशोभ चंद्र सरकार की उनके ही दुकान में कुल्हाड़ी से हत्या कर दी. हत्याओं ने शव को दुकान के अंदर छोड़कर शटर बंद कर दिया. वारदात के बाद हमलावरों ने दुकान का शटर बंद कर ताला लगा दिया और मौके से फरार हो गए. पुलिस ने बताया कि ये घटना सोमवार रात करीब 11 बजे बोमर बाजार चौराहे पर हुई. पुलिस ने बताया कि मृतक सुसेन चंद्र सरकार मेसर्स भाई इंटरप्राइजेज के मालिक थे और दक्षिणकांठा गांव के निवासी थे. दुकान में बंद किया शवपुलिस ने बताया कि व्यापारी अपनी दुकान में अकेले थे.

## पीएम का विमान हाइवे पर उतारने की तैयारी

**मोरान में हाइवे पर बनी इमरजेंसी एयरस्ट्रिप**

**14 फरवरी को किया जाएगा ऐतिहासिक प्रयोग**

नई दिल्ली, 10 फरवरी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को असम के मोरान में एक हाइवे पर बनी इमरजेंसी एयरस्ट्रिप पर उतर सकते हैं. सूत्रों ने यह पूर्वोत्तर भारत में पहली बार होगा, जब कोई प्रधानमंत्री पारंपरिक एयरपोर्ट की बजाय हाइवे पर लैंड करेगा. यह एयरस्ट्रिप राष्ट्रीय राजमार्ग के डिब्रुगढ़-मोरान हिस्से पर बनाई गई है.

मोरान एयरस्ट्रिप एनएच-127 के 4.2 किलो मीटर लंबे हिस्से पर विकसित की गई है. यह भारत की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी (ईएलएफ) है, जो सैन्य और सिविलियन (सामान्य) विमानों दोनों के लिए इस्तेमाल



की जा सकती है. ईएलएफ का मतलब है कि युद्ध या आपात स्थिति में विमान हाइवे पर उतर या उड़ान भर सकते हैं.

**इससे सड़क का दोहरा फायदा होता है**

रोजमर्रा की ट्रैफिक के साथ-साथ सैन्य जरूरतों के लिए यह एयरस्ट्रिप पूर्वोत्तर की रणनीतिक महत्व को बढ़ाती है, क्योंकि यह क्षेत्र चीन की सीमा से सटा है. सरकार ने ऐसे कई ईएलएफ पूरे देश में विकसित किए हैं, लेकिन मोरान वाला पूर्वोत्तर का पहला है.

**क्या है पीएम मोदी की यात्रा का प्लान?**

लैंडिंग: पीएम का विमान सीधे हाइवे पर उतरगा. यह पूर्वोत्तर में पहला ऐसा मौका होगा.

डेमो: पीएम की मौजूदगी में राफेल और सुखोई लड़ाकू विमान एक स्पेशल परियेनल डेमो करेंगे. इसमें विमान हाइवे से ही लैंडिंग और टेकऑफ दिखाएंगे. डेमो करीब 30-40 मिनट का होगा.

उद्देश्य: यह इवेंट भारत की इमरजेंसी तैयारियों, पूर्वोत्तर के विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा को दिखाएगा. पीएम की यात्रा इंफ्रास्ट्रक्चर के दोहरे इस्तेमाल (सिविल-मिलिट्री) पर जोर देगी. यह डेमो एयरस्ट्रिप की क्षमता को प्रदर्शित करेगा. राफेल फ्रांस से खरीदे गए आधुनिक जेट हैं, जबकि सुखोई रूस से लिए गए हैं. दोनों ही भारतीय वायुसेना के मुख्य हथियार हैं.

## कैबिनेट बैठक | अविवाहित, विधवा और तलाकशुदा बेटों भी पेंशन की हकदार

## एमपी में अब परिवार पेंशन का बढ़ा दायरा

प्रशासनिक संवाददाता भोपाल, 10 फरवरी. मप्र में अब परिवार पेंशन का दायरा बढ़ गया है. अब परिवार पेंशन के दायरे में अविवाहित, विधवा और तलाकशुदा बेटों को भी शामिल किया गया है. यानी पिता के पेंशन में ये भी भागीदार होंगे. अब तक इस तरह का प्रावधान नहीं था.

कैबिनेट ने मंगलवार को मप्र सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2026 तथा मप्र सिविल सेवा (पेंशन का सारांशिकरण) नियम 2026 का अनुमोदन कर दिया है. अब विधवा भविष्य में मप्र में नियम जारी करेगा. नए नियम एक अप्रैल 2026 से लागू होंगे. प्रस्तावित नियमों में प्रक्रियाओं एवं अधिकारिताओं को सहज बनाया गया है, जिससे पेंशनर्स को

सुविधा होगी. संबंधित प्रकरणों का निराकरण समयसीमा में हो सकेगा. सेवानिवृत्तों को सारांशिकरण कराया जाने में सुविधा होगी तथा पेंशन सारांशिकरण मूल्य की गणना में सुविधा होगी.

कैबिनेट ने मप्र सिविल सेवा नियम 2026 तथा मप्र सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत उपदान का संदाय) नियम 2026 का भी अनुमोदन किया है. नए प्रावधान के तहत अभिदाता की मृत्यु की दशा में परिवार पेंशन का प्रावधान किया गया है.

(शेष पेज 12 पर)



## कलश यात्रा में भगदड़ से एक महिला की मौत

**08 महिलाएं हुई घायल**

**नवग्रह मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान हादसा**

नवभारत न्यूज

**ग्वालियर, 10 फरवरी.** कलश यात्रा के दौरान भगदड़ मचने से एक महिला की मौत हो गई. वहीं आठ महिलाएं गंभीर रूप से घायल हैं. भगदड़ की ये घटना डबरा में नवग्रह मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान निकाली गई कलश यात्रा के दौरान हुई. मृतका का नाम रति साहू बताया जा रहा है. वे हनुमान कॉलोनी की रहने वाली थीं. हादसे में 8 महिलाएं घायल हैं, जिनका डबरा एवं ग्वालियर के अस्पतालों में इलाज चल रहा है. पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ग्वालियर के डबरा में नवग्रह मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं. पूजा के



इसी कार्यक्रम के तहत मंगलवार की सुबह कलश यात्रा निकाली जा रही थी. यात्रा के दौरान अचानक भगदड़ मच गई और देखते ही देखते चीख-पुकार मच गई. परिजन का रो-रोकर बुरा हाल था. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक भगदड़ तब मची जब कलश यात्रा से पहले कलश बांटे जा रहे थे. इसी दौरान पुलिसकर्मियों ने अचानक स्टैंडियम का गेट खोल दिया, जिससे भीड़ बेकाबू हो गई.

**बिखरी पड़ी थी टूटी चूड़ियां**

हादसे के बाद स्टैंडियम ग्राउंड में हर तरफ महिलाओं की चपलें, टूटी चूड़ियां और बिखरा सामान पड़ा मिला. कई महिलाएं हादसे के बाद भी ग्राउंड पर बैठी नजर आईं. उनका कहना था कि उन्हें यात्रा के लिए बुलाया गया था, लेकिन न तो कलश मिला और न ही सही जानकारी दी गई.

## एआई कंटेंट को लेकर सरकार की सख्ती

**20 फरवरी से लागू होंगे नए नियम**

**2026 में नए आईटी एक्ट में किया संशोधन**

नई दिल्ली, 10 फरवरी. एआई जेनरेटेड कंटेंट को लेकर सरकार ने सख्ती की है. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने इसके लिए नया डिजिटल फ्रेमवर्क तैयार किया है, जो 20 से लागू होने जा रहा है. सिंथेटिकली जेनरेटेड इंफॉर्मेशन या एएसजीआई कंटेंट को लेकर सख्ती दिखाते हुए सरकार ने 10 फरवरी को नया नियम नोटिफाई किया है.

नए आईटी एक्ट, 2026 में यह संशोधन 20 फरवरी से लागू किया जाएगा. सोशल मीडिया पर शेयर



**क्या है सिंथेटिक कंटेंट**

सरकार ने नए नियम में शेयर किए जाने वाले सिंथेटिक कंटेंट (एसजीआई) को स्पष्ट तरीके से परिभाषित किया है. इसमें कृत्रिम रूप से उत्पन्न जानकारी (एसजीआई) को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि जो ऑडियो, विजुअल या ऑडियो-विजुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एल्गोरिदमिक रूप से कंप्यूटर रिसोर्स को यूज करके इस तरह से बनाई. मोडिफाई या बदली गई है. जो रियल या ऑथेंटिक दिखाई देती है. और व्यक्तियों या घटनाओं को इस तरह से चित्रित करती है, जो वास्तविक व्यक्तियों या वास्तविक दुनिया की घटनाओं की तरह लगती है उसे एसजीआई माना जाएगा.

किए जाने वाले एआई जेनरेटेड कंटेंट, डीपफेक, अफवाह फैलाने वाले कंटेंट और एएसजीआई के लिए लेबलिंग अनिवार्य कर दिया गया है.

सरकार ने आईटी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड)

अमेंडमेंट नियम, 2026 जारी किया है, जिससे 20 फरवरी 2026 से लागू कर दिया जाएगा. इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किए जाने वाले डीपफेक, अफवाहों और एएसजीआई (एआई जेनरेटेड कंटेंट) के इस्तेमाल को लेकर नए दिशा-निर्देश शामिल हैं.